



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.10.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध सट्टा खिलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 25.10.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर एक्सप्रेस मार्केट के पास पेड़ के नीचे से अवैध सट्टा खिलाने वाला 01 अभियुक्त अनिल पुत्र नौबत राम निवासी म0नं0 270, कल्लूपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष को 04 अदद सट्टा पर्ची नंबर लगी हुई एवं 3440 रुपये नकद व 01 मोबाईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त:-

1. अनिल पुत्र नौबत राम निवासी म0नं0 270, कल्लूपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त :-

1. मु0अ0सं0- 305/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 04 अदद सट्टा पर्ची मय पैड
2. 3440 रुपये नकद धनराशि (सट्टे के)
3. 01 मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम कोतवाली नगर

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा सट्टे की खायी-बाडी करने वाले 02 अभियुक्तों को सट्टा पर्ची व 530 रुपये आदि सहित गिरफ्तार किया गया ।

आज दिनांक 25.10.26 को उच्चधिकारियों के अन्तर्गत चलाये गये अभियान के तहत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा चैकिंग के दौरान सट्टे की खायी-बाडी करने वाले 02 अभियुक्त (1) अशोक पुत्र रामफल सिंह निवासी पार्क वाली गली लड्डुमार कालोनी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष (2) ओमकार सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम रुदरी थाना रानी की सराय जिला आजमगढ हाल पता चर्च वाली गली क्रिश्चननगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को नीली टंकी के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 530 रुपये नकद, सट्टा पर्ची आदि सट्टा लगाने का सामान

बरामद हुआ। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि० में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग पुलिस से चोरी छिपे सट्टे की खायी बाड़ी का काम करते हैं लोग हमारे पास लालच में पड़ कर सट्टा लगाने के लिए आते हैं, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा हमारा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

(1) अशोक पुत्र रामफल सिंह निवासी पार्क वाली गली लट्टमार कालोनी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष।

(2) ओमकार सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम रुदरी थाना रानी की सराय जिला आजमगढ़ हाल पता चर्च वाली गली क्रिश्चननगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

530 रुपये नकद, सट्टा पर्ची आदि

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सट्टे से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अशोक उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर गाजियाबाद पर हत्या के प्रयास सम्बन्धी 01 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर जुआ अधि० से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम व स्वाट टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.10.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र 20 वर्ष को अभियुक्त मूलचन्द पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम रघुनाथपुर चन्दपुरा थाना पिलखुवा जिला हापुड द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 87 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा वादी की पुत्री की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पीडिता को बरामद किया गया, पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 25.10.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मूलचन्द पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम रघुनाथपुर चन्दपुरा थाना पिलखुवा जिला हापुड उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादी की पुत्री से पिछले 04 वर्षों से दोस्ती थी। दिनांक 23.10.2026 को मैं अपने दोस्त कलुआ के साथ मिलकर पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने साथ पिलखुआ अपने कमरे पर ले गया था जहां मैंने उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मूलचन्द पुत्र लखमीचन्द निवासी ग्राम रघुनाथपुर चन्दपुरा थाना पिलखुवा जिला हापुड, उम्र 28 वर्ष ।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

कलुआ निवासी पिलखुवा जिला हापुड ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

दिनांक 23.10.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. सोएब 2. सलमान पुत्र बेचेन 3. फिजु पुत्र कासिम 4. आजिम पुत्र रियासत निवासीगण चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी के भाई सोनू की गोली मारकर हत्या कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों/मैनुअल इनपुट के आधार पर घटना में 01 बाल अपचारी का नाम भी प्रकाश में आया व घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये । तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट की मदद से हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.सलमान पुत्र बेचेन 2. शोएब पुत्र मोमीन को गिरफ्तार किया व प्रकाश में आये 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया जिनके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद । उपरोक्त अभियोग में धारा- 61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी ।

आज दिनांक 25.10.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आजिम पुत्र रियासत निवासी चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त आजिम ने बताया कि मृतक सोनू पुत्र मुस्तकीम हमारी बहन का कॉलेज से आते-जाते समय पीछा करता था, मना करने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं था और जान से मारने की धमकी देता था तथा मैंने और मेरे साथी सलमान, शोएब व बाल अपचारी ने मिलकर सोनू को मारने की योजना बनाई थी । योजना के अनुसार शोएब ने सोनू को फोन कर अपनी दुकान पर बुलाकर बैठा लिया था तथा सलमान अपनी मोटरसाइकिल को लेकर आया तथा मैंने अपने दोस्त बाल अपचारी को बुलाया, हम लोग मिलकर मोटरसाइकिल से चिरौड़ी आये और शोएब की दुकान पर पहुंचे, बाल अपचारी

मोटरसाइकिल चला रहा था मैंने और सलमान ने जान से मारने की नियत से सोनू पर फायरिंग की और हम मौके से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आजिम पुत्र रियासत निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 21 करीब वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

फिजु पुत्र कासिम निवासी ग्राम चिरौडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लोनी पुलिस टीम।

**थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा नशीले पाउडर की तस्करी करने वाला
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

आज दिनांक 25.10.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारी गण द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त सुभाष कश्यप उर्फ सुभाष मल्लाह पुत्र स्व0 शोरा कश्यप निवासी शनि चौक के पास बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 65 वर्ष को मुखबि की सूचना पर शनि चौक के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध पूर्व में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर NDPS ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है, जिसमें उपरोक्त अभियुक्त वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं शनि चौक बिहारीपुरा में रहता हूँ तथा ओडिशा से सस्ते दामों पर भारी मात्रा में नशीला पाउडर मंगाता हूँ। फिर उसकी छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वार्टर्स के आस पास रहने वाले मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सुभाष कश्यप उर्फ सुभाष मल्लाह पुत्र स्व0 शोरा कश्यप निवासी शनि चौक के पास बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 65 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना विजयनगर पर आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना

क्रॉसिंग रिपब्लिक पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

सर्विलांस टीम एवं थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से मोबाइल फोन स्वामियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 में चोरी/गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए सर्विलांस टीम एवं थाना पुलिस द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है।

मोबाइल फोन गुम अथवा चोरी होने की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए **CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल** पर उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का उपयोग किया गया। इसके साथ ही सर्विलांस टीम द्वारा IMEI नम्बर, मोबाइल नेटवर्क एवं अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर लगातार निगरानी एवं विश्लेषण किया गया। तकनीकी दक्षता, बेहतर समन्वय एवं सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 में गुम/चोरी हुए कई मोबाइल फोन बरामद किए गए।

बरामद किए गए मोबाइल फोन को नियमानुसार उनके वास्तविक स्वामियों की पहचान एवं सत्यापन के उपरान्त उन्हें वापस लौटाया गया। **अपना खोया हुआ मोबाइल फोन वापस पाकर फोन स्वामियों द्वारा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की कार्यवाही एवं तकनीकी टीम के प्रयासों की सराहना की गई।**

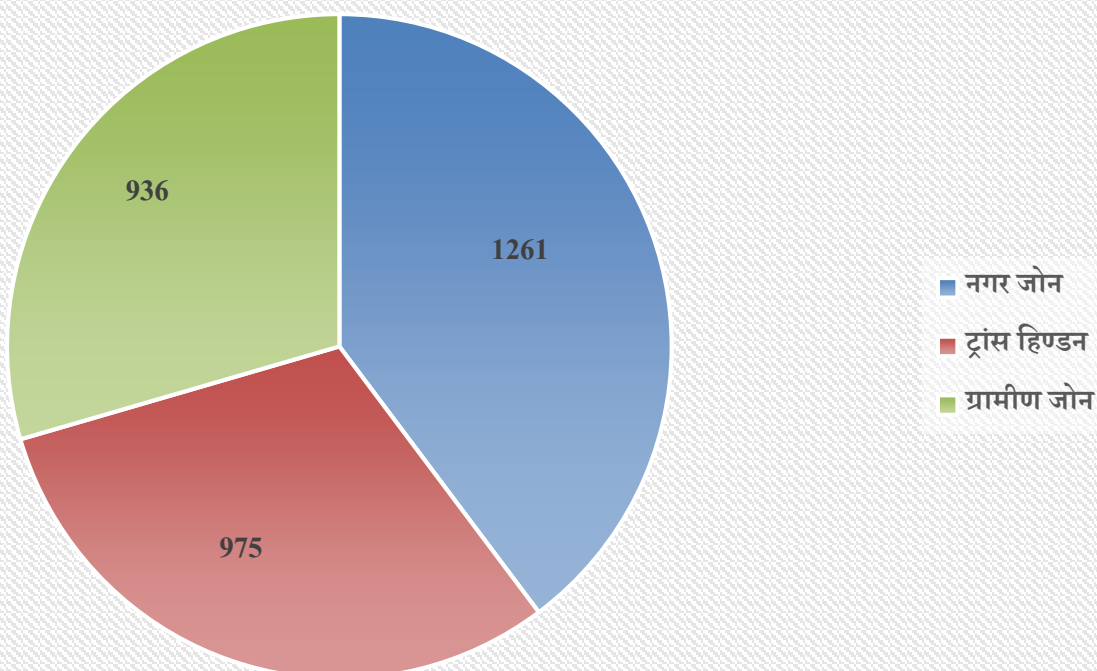
इस पूरी कार्यवाही में सर्विलांस टीम एवं सम्बन्धित थाना पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीमों द्वारा पारंपरिक पुलिसिंग के साथ आधुनिक तकनीक का समन्वय करते हुए मोबाइल फोन की लोकेशन, IMEI एवं नेटवर्क संबंधी तकनीकी जानकारी का विश्लेषण किया गया, जिससे गुम/चोरी हुए मोबाइल फोन तक पहुँचने में सफलता मिली।

CEIR पोर्टल का प्रभावी उपयोग इस अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी रहा। CEIR व्यवस्था के माध्यम से चोरी/गुम मोबाइल फोन के IMEI से संबंधित जानकारी के आधार पर उन्हें ट्रेस करने तथा उनके पुनः उपयोग की स्थिति में तकनीकी इनपुट प्राप्त करने में पुलिस को महत्वपूर्ण सहायता मिली।

वर्ष 2025 में कुल बरामद मोबाइल एवं उनकी अनुमानित कीमत

क्र०सं०	नगर जोन	ट्रांस हिंडन	ग्रामीण जोन	कुल योग
मोबाइल फोन	1261	975	936	3172
अनुमानित कीमत	3 करोड़ 30 लाख	2 करोड़ 78 लाख	3 करोड़ 42 लाख 41 हजार	9 करोड़ 50 लाख 41 हजार

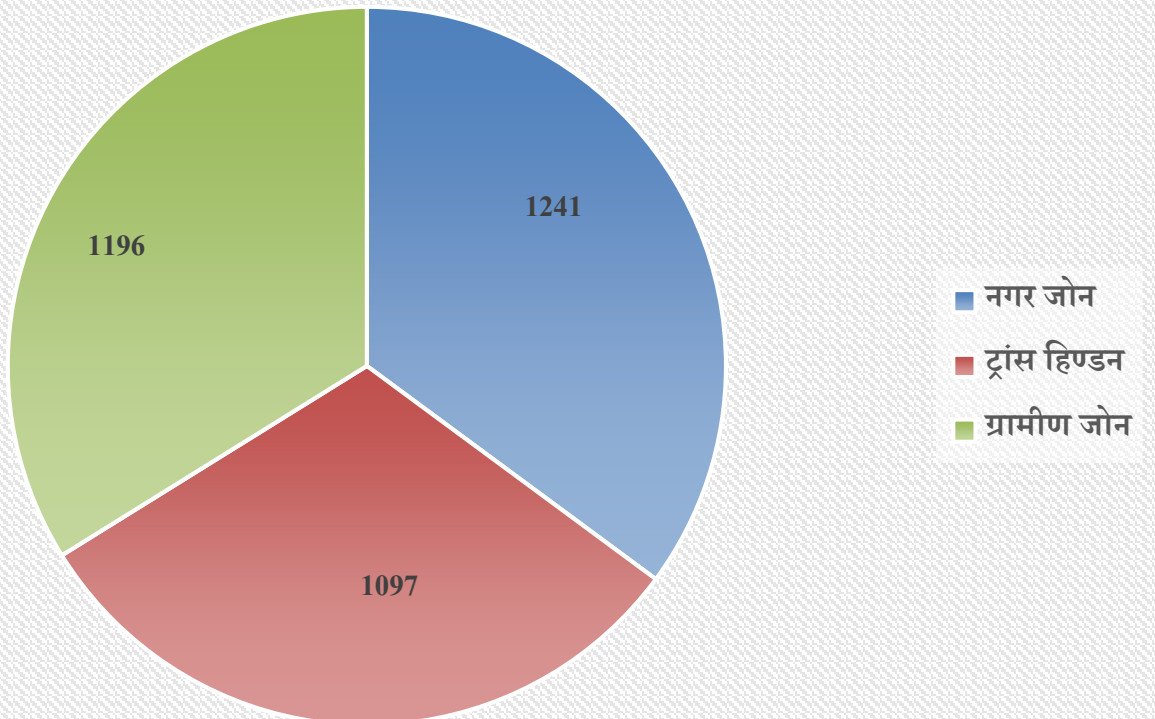
वर्ष 2025 में कमि० गाजियाबाद में कुल बरामद मोबाइल फोन जोनवार विवरण



वर्ष 2026 में कुल बरामद मोबाइल एवं उनकी अनुमानित कीमत

क्र०सं०	नगर जोन	ट्रांस हिंडन	ग्रामीण जोन	कुल योग
मोबाइल फोन	1241	1097	1196	3534
अनुमानित कीमत	3 करोड़ 40 लाख	3 करोड़ 25 लाख	3 करोड़	9 करोड़ 65 लाख

वर्ष 2026 में कमि० गाजियाबाद में कुल बरामद मोबाइल फोन जोनवार विवरण



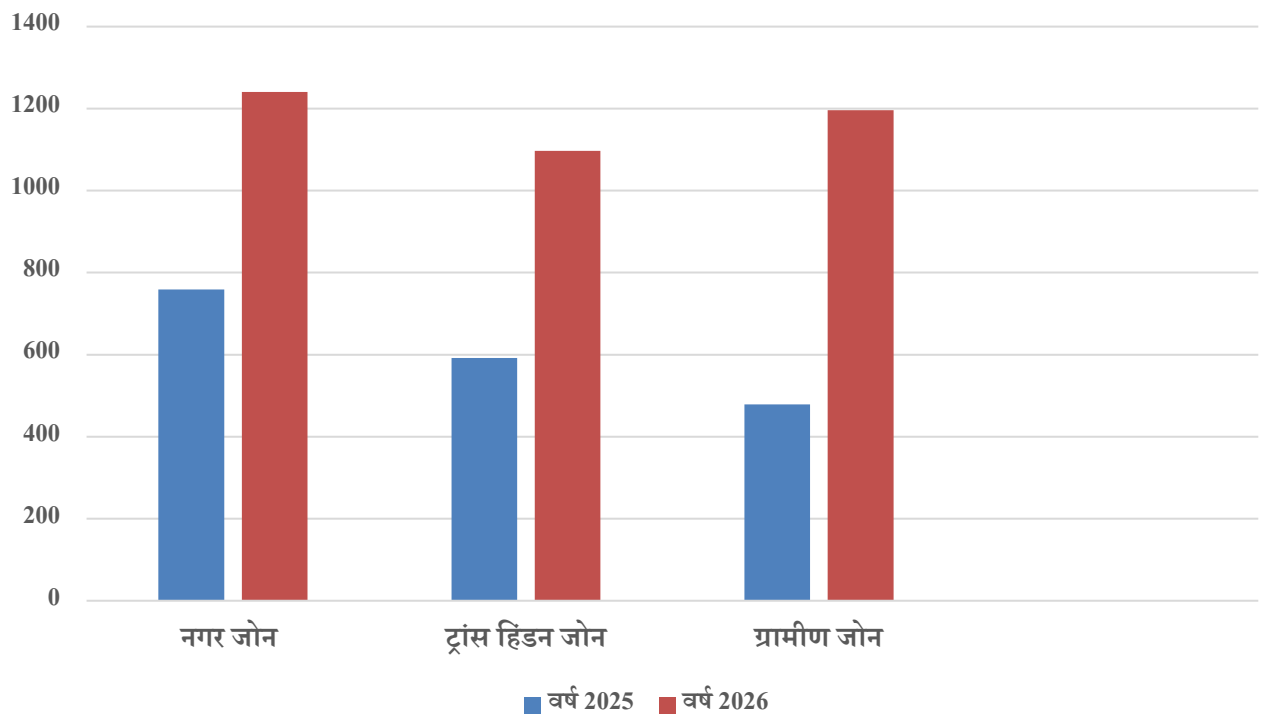
- वर्ष 2025 से अब तक पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम एवं थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा **कुल 6706 मोबाइल फोन**

रिक्वर कर मोबाइल स्वामियों को लौटाये जिसकी कुल अनुमानित कीमत 19 करोड़ 15 लाख 41 हजार रुपये है।

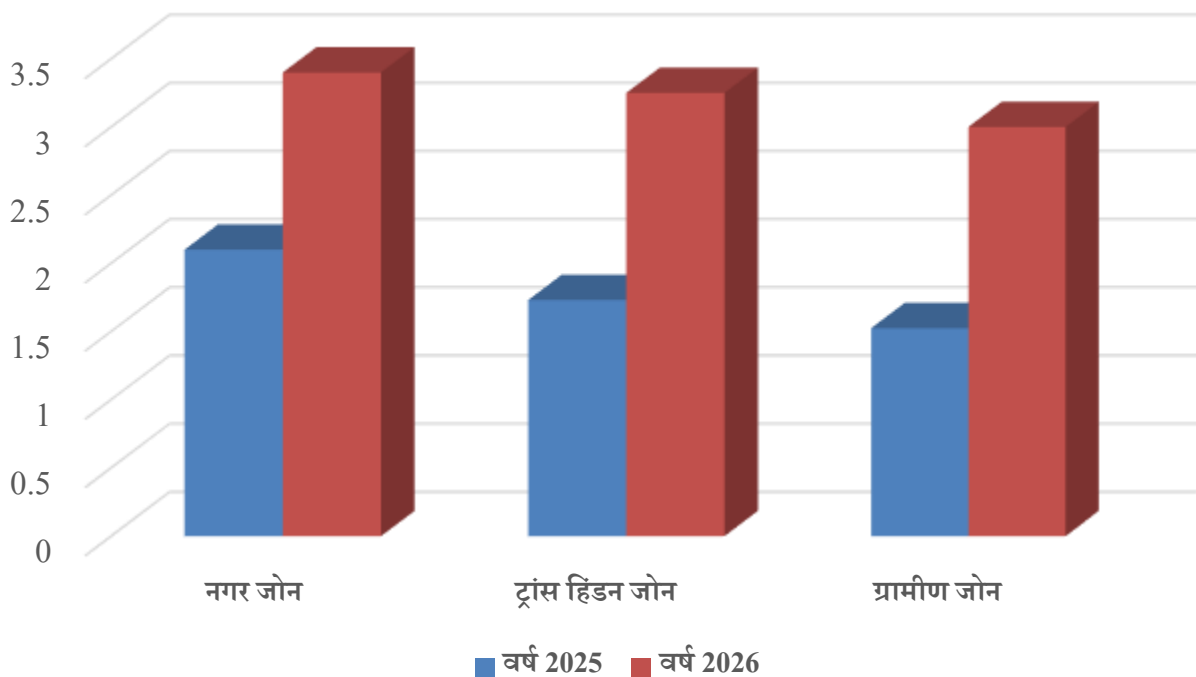
वर्ष 2025 एवं वर्ष 2026 (माह जनवरी से 15 अक्टूबर) बरामद हुए मोबाइल फोन का जोनवार तुलनात्मक एवं अनुमानित कीमत का विवरण

जोन	वर्ष 2025 में बरामद मोबाइल फोन	अनुमानित कीमत (रु० में)	वर्ष 2026 में बरामद मोबाइल फोन	अनुमानित कीमत (रु० में)
नगर जोन	759	2 करोड़ 10 लाख	1241	3 करोड़ 40 लाख
ट्रांस हिण्डन	592	1 करोड़ 73 लाख	1097	3 करोड़ 25 लाख
ग्रामीण जोन	479	1 करोड़ 52 लाख 41 हजार	1196	3 करोड़
कुल योग	1830	5 करोड़ 35 लाख 41 हजार	3534	9 करोड़ 65 लाख

**वर्ष 2025 व वर्ष 2026 (माह जनवरी से 15 अक्टूबर) बरामद मोबाइल
का जोनवार तुलनात्मक विवरण**



**वर्ष 2025 व वर्ष 2026 (माह जनवरी से 15 अक्टूबर) बरामद मोबाइल
की अनुमानित कीमत(करोड़ रुपये में)**



➤ कमिश्नरेट गाजियाबाद की सर्विलांस टीम एवं थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में वर्ष 2025 में कुल 3,172 मोबाइल फोन रिकवर किये गये, जिनकी अनुमानित कीमत ₹9 करोड़ 50 लाख 41 हजार थी।

- संयुक्त कार्यवाही में वर्ष 2026 में कुल 3,534 मोबाइल फोन रिकवर किये गये, जिनकी अनुमानित कीमत ₹9 करोड़ 65 लाख है।
- वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026(माह जनवरी से 15 अक्टूबर) में 1,704 अधिक मोबाइल फोन रिकवर किये गये, जो **लगभग 93.11% की वृद्धि** है।
- वर्ष 2025(माह जनवरी से 15 अक्टूबर) में रिकवर मोबाइलों की अनुमानित कीमत ₹5,35,41,000 की तुलना में वर्ष 2026 (माह जनवरी से 15 अक्टूबर) में ₹9,65,00,000 की अनुमानित कीमत रही। इस प्रकार अनुमानित कीमत में ₹4,29,59,000 (लगभग ₹4 करोड़ 29 लाख 59 हजार) की वृद्धि हुई, जो **लगभग 80.23% की वृद्धि** है।
- वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में न केवल मोबाइल रिकवरी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, बल्कि रिकवर किये गये मोबाइलों की अनुमानित कीमत में भी पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा इस कार्यवाही के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मोबाइल फोन चोरी अथवा गुम होने की स्थिति में शिकायत को अनदेखा न करें, बल्कि तत्काल पुलिस को सूचना दें तथा उपलब्ध तकनीकी माध्यमों का उपयोग करें। मोबाइल फोन का IMEI नम्बर सुरक्षित रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि IMEI नम्बर मोबाइल की पहचान एवं उसे ट्रेस करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस अभियान के माध्यम से बरामद किए गए मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिली है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आमजन की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग, बेहतर पुलिसिंग एवं निरंतर प्रयासों का क्रम आगे भी जारी रहेगा।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस व स्वाट टीम नगर जोन द्वारा मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 33 किलोग्राम अवैध गांजा, 02 तमंचा, 03 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व एक स्कूटी बरामद ।

थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में गोल चक्कर 16 मंजिला के तिराहे पर थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम व स्वाट टीम नगर जोन के द्वारा सदिंघ वाहनों और व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी , चेकिंग के दौरान दुहाई रेलवे फाटक की ओर से बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की स्कूटी पर सवार 03 संदिग्ध व्यक्ति आते हुये दिखाई दिए पुलिस टीम के द्वारा जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को देखकर तीनों सदिंघ स्कूटी मोड़कर भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा पीछा किये जाने पर खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधे फायरिंग कर दी । पुलिस टीम ने स्वयं को बचाते हुये आत्मरक्षार्थ में जबाबी कार्यवाही की जिसमें एक अभियुक्त राहुल उर्फ राजेश उर्फ विनोद उर्फ मूशा उर्फ राजू पुत्र अशोक कुमार निवासी सेक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद के पैर में गोली गयी और घायल होकर वहीं पर गिर गया जिसे पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर दबोच लिया तथा 02 अन्य अभियुक्तगण अभय उर्फ गौरव पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद व तुषार सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को भी भागते हुये पुलिस टीम के द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है । पुलिस मुठभेड़ के दौरान ही अभियुक्त गणों के कब्जे से मौके पर एक अदद स्कूटी रंग काला बिना नम्बर प्लेट व 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 03 अदद खोखा कारतूस मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 33 किग्रा0 अवैध गांजा (कीमत करीब 15 लाख रुपये) मौके पर बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त राहुल उर्फ राजेश उर्फ विनोद उर्फ मूशा उर्फ राजू उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता अभियुक्त –

1. राहुल उर्फ राजेश उर्फ मूसा उर्फ विनोद पुत्र अशोक कुमार, निवासी सेक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद । (घायल)
2. अभय उर्फ गौरव पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद।
- 3 .तुषार सिंह पुत्र अमन सिंह सैक्टर-23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास-

राहुल उर्फ राजेश उर्फ मूसा उर्फ विनोद पुत्र अशोक कुमार के विरुद्ध कुल 03 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

1. अवैध गांजा 33 किलोग्राम
2. 02 तमंचा .315बोर
3. 03 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस
4. एक स्कूटी बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मधुबन बापूधाम व स्वाट टीम नगर जोन ।